



भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)  
PART II - Section 3 - Sub - section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946]  
No. 946]

नई दिल्ली, शुक्रवार, आगस्त 25, 2006/ भाद्र 3, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928

**कृषि मंत्रालय**  
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

**अधिसूचना**  
नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2006

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Animal Husbandry,  
Dairying and Fisheries)

**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 25th August, 2006

**का.आ. 1359(अ).**-तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड - 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की सं. का.आ. 1803 (अ) के तहत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ख) और (छ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को शामिल की जाए, नामत :-

“(ख) डॉ. ए. जी. पोनियाह, सदस्य”  
निदेशक,  
केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई  
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

“(छ) (i) सुश्री लीना नायर, सदस्य”  
सचिव, तमिलनाडु सरकार,  
पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग,  
चेन्नई - 600009.

**S.O. 1359 (E).** In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture vide number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:-

In the said notification, for serial numbers (b) and (g) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :-

“(b) Dr. A.G. Ponniah, - Member”  
Director,  
Central Institute of Brackishwater  
Aquaculture, Chennai (Expert in the  
field of coastal aquaculture)

“(g) (i) Ms. Leena Nair, - Member”  
Secretary to Government of Tamil Nadu,  
Animal Husbandry, Dairying and  
Fisheries Department,  
Chennai-600 009.

[ फा.सं. 33036/3/2005-मा.(टी.-2)]  
अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

[F.No. 33036 /3/2005-Fy (T-2)]  
AJAY BHATTACHARYA, Jt Secy.